जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 19.12.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 12 घण्टे के अन्दर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 741/2024 धारा 70(2), 115(2), 352 बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट तथा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(VA), 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्तगण 01. श्याम कुमार पुत्र साधी 02. सोनू पुत्र हरिश्चंद्र निवासीगण अजाव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम अजाव से गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को थाना धनघटा पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्तगण द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण 01. श्याम कुमार पुत्र साधी 02. सोनू पुत्र हरिश्चंद्र को 12 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर दिनांक 19.12.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र, उ0नि0 श्री रामदरश यादव, व0उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, का0 रजनीश यादव, का0 सोनू कुमार।

मंडलायुक्त बस्ती मंडल व पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा आगामी सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा 2024 के दृष्टिगत की गयी गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

मंडलायुक्त बस्ती मंडल व पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती ***श्री दिनेश कुमार पी0*** द्वारा जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** की उपस्थिति में दिनांक 22.12.2024 को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा 2024 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में गोष्ठी का किया गया। जनपद संतकबीरनगर के अन्तर्गत *11 केन्द्रों* पर दो पालियों में परीक्षा समय क्रमशः प्रथम पाली प्रातः 09.30 बजे से 11.30 बजे तक व द्वितीय पाली अपरान्ह 02.30 बजे से सायं 04.30 बजे तक कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें ***कुल 4628 परीक्षार्थी*** शामिल होगें। महोदय द्वारा उक्त परीक्षा को सकुशल सम्पन्न करानें / शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु विभिन्न विभागों के अधि0/कर्मचारीगण के साथ गोष्ठी की गई व शासन द्वारा

जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** सहित पुलिस व राजस्व के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 04 अभियुक्तगणों को 03-03 वर्ष के कारावास व कुल 18,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 19.12.2024 को ***मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /एससी एसटी एक्ट स0क0न0*** द्वारा ***थाना मेंहदावल*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 121/2011 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(X) एससी एसटी एक्ट के मामलें में अभियुक्तगण 01. चुलचुल उर्फ रामसिंह पुत्र शोथिल, 02. मोती पुत्र शिवबालक, 03. सुखराम पुत्र रामरुदल, 04. जितेन्द्र पुत्र मोती निवासीगण भिटीय कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रत्येक को अन्तर्गत धारा 323 भादवि के आरोप में छ:-छ: माह के कारावास एवं 500-500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड भुगतान न किये जाने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्तर्गत धारा 504 भादवि में प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास तथा 1000-1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास , अन्तर्गत धारा 506 भादवि में प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास व 1000-1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अन्तर्गत धारा 3(1)X एससी/एसटी एक्ट में प्रत्येक अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष के कारावास तथा 2000-2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 435/2024 धारा 85, 80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता विजय कुमार यादव पुत्र सुमेर निवासी ग्राम भरवलिया बूधन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 19.12.2024 को दुधारा प्रसूती अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 26.11.2024 को वादी श्री मुकेश यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी आँटाकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर तहरीर दिया गया कि मेरी बहन से उसके पति विजय यादव, ससुर राम सुमेर यादव और उसकी सास बिन्दलावती देवी दहेज की मांग करते थे, दहेज न देने पर बहन को प्रताड़ित करते थे, दिनांक 26.11.2024 को मेरी बहन के पति विजय यादव व उसके सास, ससुर मिलकर मेरी बहन की हत्या कर दिये हैं, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दुधारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 19.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 राधेश्याम गिरी।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए महिला के साथ छल कर अपहरण करने व इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए विवश करने क मामले में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 963/2024 धारा 87/142/143(2)/115(2)/351(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्ता नाम पता राजमति पत्नी शिवलाल निवासी विलन्दपुर खन्ता मैना देवी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 18.12.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी के साथ छल करके धोखे से बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया,प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 19.12.2024 को उक्त अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, म0का0 मनीषा यादव।